राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) लूनकरनसर, जिला बीकानेर

सरकार .... बनाम श्री खियाराम S/o सुभाराम जाट नि. धरनाली

किस्म मुकदमा — ~~आरसीए. 1954 की धारा 22~~ ~~एल. आर. एक्ट 1956 की धारा 91~~ 91

मुकदमा नम्बर 07/18 वर्ष 2018 फसल खरीफ

आदेश दिनांक	कार्यवाही विवरण	आदेश की तामील
26/7/18	पटवारी हल्का अजीतमाना की रिपोर्ट पर पत्रावली मुरतीब की गई। मुताबिक रिपोर्ट अप्रार्थी ने ग्राम/~~चक~~ धरनाली के खसरा नं./~~मु.नं.~~ 65 तादादी 1.26 हैक्टेयर बीघा राजकीय भूमि पर सम्वत 2075 में नाजायज कब्जा कर काश्त कर ली। अप्रार्थी को धारा ~~22~~/91 के तहत नोटिस जारी किया जावे एवं भू-अभिलेख निरीक्षक को फसल कुर्क करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली आईन्दा दिनांक 07/8/18 को पेश हो। तहसीलदार (राजस्व) लूनकरनसर	रो. मु. गोपाल
7/8/18	पत्रावली पेश हुई। सम्बंधित गैरसायल मुद्दाअलेह। सम्बंधित प.ह. से अतिक्रमण हटाने बाबत हटाने बाबत रिपोर्ट की बाबत पत्रावली अर्थात दिनांक 30/8/18 को पेश हो।	व रजिस्टर के पेज नं. 129 के क्रमांक 07 पर मांग कायम की जावे। [signature] TRA 7/8/18
30/8/18	पत्रावली पेश हुई। सम्बंधित प.ह. अजीतमाना की रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट मुताबिक अतिक्रमी से मौके पर अतिक्रमण को राजस्व टीम द्वारा बेदखल किया जाकर अतिक्रमण हटाया गया है। उक्त रिपोर्ट को शामिल...	P.T.O.

Scanned by CamScanner

30/8/18. निरस्त किया गया। उक्त प्रकरण का निर्णय पृथक से लिखा गया। आज्ञप्ति निर्मित किया गया।

Scanned by CamScanner

न्यायालय तहसीलदार (राजस्व)लूनकरनसर

प्रकरण संख्या: 07 /2018 दिनांक 30/8/2018

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का ग्रामीणा ने रिपोर्ट (पी-9) प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सम्वत 2075 फसल खरीफ में गैर सायल रिछपाराम पुत्र दुर्गाराम जाति जाट साकिन दरगाली ने ग्राम दरगाली के खसरा नं० 65 रकबा 1.26 हेक्टेयर जोहड़ पायतन, गोचर, चारागाह राजकिय भूमि में काश्त/बाड़ा/कच्चा/पक्का मकान निर्माण कर नाजायज अतिक्रमण किया है।

सम्बधित गैर सायल का रा.भू.रा.अधि. 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किया गया जो बाद तामिल शामिल मिसल किया गया। संबधित गैरसायल अनुपस्थित होने के कारण उक्त प्रकरण में इकतरफा कार्यवाही करते हुए सम्बधित गैर सायल रिछपाराम पुत्र श्री दुर्गाराम जाति जाट साकिन दरगाली ग्राम दरगाली खसरा नं० 65 रकबा 1.26 हेक्टेयर के अतिचार करने पर राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधान के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा मौके से काश्त फसल को नष्ट करने व अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। बेदखली व काश्त फसल को नष्ट करने तथा भूराजस्व का 50 गुणा 63/- रूपये शास्ति से दंडित किया जाता है। इस बाबत संबधित गिरदावर हल्का को लिखा जावे तथा तलवान वसुली बाबत पटवारी हल्का को तथा मांग कायमी बाबत टीआरए शाखा को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 30/8/2018 को खुली अदालत में लिखाया जाकर सुनाया गया।

तहसीलदार(राजस्व)
लूनकरनसर

Scanned by CamScanner